सरदाशराम बनाम तीजा वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु० नं० - 131/2017
13-11-17	इजलास वकलाई पेशी देने पर ... । वकलाय परिवेश ... स्थित/ पीठा ... में स्थान/ मोहित ... । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-12-17 को पेश हो। Vimlu
11-12-17	पत्रावली पेश ... । ... य कारीक़ ... ... जारी ... ... में ... तिम है है । पत्रा... ... हो । दिनांक 10-1-18 को ... हो । V
10-1-18	पत्रावली ... । ... य परिवेश ... स्थित/ पीठा ... में स्थान/ मोहित ... । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-2-18 को पेश हो। Vimle
21-2-18	पत्रावली पेश हुई । वकलाय परिवेश ... स्थित/ ... / ... में स्थान/ मोहित ... । पत्राव... आदेशानुसार दिनांक 15-3-18 को पेश हो। Raj
15.3.18	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 4-4-18 को पेश हो। Gh
4-4-18	पत्रावली पेश हुई । वकलाय परिवेश उपस्थित/ ... ... में स्थान/ मोहित ... । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-4-18 को पेश हो। Raj
16-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। आरोपी नं० 14 की तामील अव्यक्तव्यवान होकर लौटी है एवं शेष आरोपी नं० 1 से 3, 5 से 8, 10 से 13 की नोटिस तामील अव्यक्तव्यन। ... मय वस्तावदगी से होकर लौटे है। पैरवी पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये है। Gh

सरदाराराम बनाम तीजा कौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु०नं० – 131/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अत: इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 24-4-18 को पेश हो। Sd/-	
4-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 [illegible] शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर [illegible] की पालना एवं [illegible] दिशा निर्देशों की [illegible] 18-5-18 से तलब होकर [illegible] में पत्रावली मय अदालत [illegible] सुनवाई हेतु रखी जाती है [illegible] अदालत/कैम्प कोड स्थल [illegible] सेवा केन्द्र कल्याणपुरा में दिनांक 18-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Sd/-	
18.05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– कल्याणपुरा (थोई) में पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थी न. 4 व 9 को छोड़कर शेष सभी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। अप्रार्थी न. 4 व 9 को जवाब हेतु 29.05.2017 से आदिनांक तक लगातार अवसर दिया जा रहा है लेकिन बावजूद अवसरों के भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी न. 4 व 9 का जवाब प्रा.प. बन्द किया जाता है। प्रकरण पत्थरगढ़ी से सम्बन्धित है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1276/1990 रकबा 0.64 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.06.2016 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है। मौके पर उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि सीमा चिन्हों को बिना रद्दोबदल किये पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अवगत कराया। Sd/-	

Scanned by CamScanner

सरदाराराम बनाम सीता वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु० नं० - 131/2017

प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2072–75, नजरी नक्शा प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 16.06.16 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रकरण में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 16.06.2016 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस का नियमानुसार आंकलन कर राशि जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 16.06.2016 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक भौतिक मौका स्थिति में बिना कोई परिवर्तन किये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प कल्याणपुरा (थोई) के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहमलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)
कैम्पः–कल्याणपुरा(थोई)

Scanned by CamScanner